1. In the court of Abhishek. K. Das. District & Sessions Judge, East Champaran at Motihari, B.P.No. 607/2026, dt. 26.03.2026, Dhananjay Kumar vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

जमानत आवेदन संख्या–607 / 2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. धनंजय कुमार , वल्द विन्देश्वर प्रसाद सिंह उम्र 33 वर्ष
ग्राम–तेजपुरवा, थाना–पातेपुर, जिला– वैशाली.....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदक की ओर से – श्री नितेश कुमार श्रीवास्तव ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद, विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

26.03.2026 काराधीन आवेदक / अभियुक्त धनंजय कुमार की ओर से मोतिहारी, नगर थाना कांड संख्या–168 / 2026, धारा– 293, 352, 351(2), 75 बी.एन.एस. के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 23.02.2026 से कारा में निरूद्ध है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचक आशुतोष आदित्य का कथन है कि धनंजय कुमार डाक सहायक, राजेपुर चम्पारण उप डाकघर के पद पर कार्य करते विभागीय कार्यों में लापरवाही पाई गई एवं विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण दिनांक 16 फरवरी 2026 को उसके द्वारा निलंबित किया गया, निलंबन उपरांत आशीष भारद्वाज, डाक निरीक्षक, दक्षिणी अनुमंडल मोतिहारी एवं कुमार विभोर, डाक सहायक प्रमंडलीय कार्यालय, मोतिहारी को निलंबित कर्मचारी को भारमुक्त कर अन्य डाक सहायक को भार ग्रहण कराने के लिए राजेपुर चम्पारण उप डाकघर दिनांक 11 फरवरी 2026 को भेजा गया। धनंजय कुमार द्वारा भार देने से पूर्व वहाँ भय का माहौल बनाया गया और मोबाइल पर कहीं फोर करके चार–पाँच लोगों को बुलाने की बात कही ताकि वहाँ उपस्थित आशीष भारद्वाज और कुमार बिभोर को भयाक्रांत किया जा सके। दिनांक 12 फरवरी 2026 को धनंजय कुमार के द्वारा सुबह 06 बजकर 10 मिनट

के आसपास ब्हाट्सप स्टेट्स में उसकी मॉ और बेटी के बारे काफी अशिष्ट, असभ्य, गंदे और भद्दे शब्दो का प्रयोग किया गया जिसका स्कीन शॉट संलग्न है।

जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा कंडिका–4 में कहा गया है कि आवेदक दिनांक 23.02.2026 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसे विभगीय विवाद के कारण इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। आवेदक के विरूद्ध आरोपित आरोप आधारहीन एवं झूठ है तथा घटनास्थल पर इस प्रकार की कोई घटना कारित नहीं हुआ है। आवेदक डाक विभाग में डाक सहायक के पद पर पदस्थापित है, जिसे सूचक के द्वारा कार्य में लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया था। सच्चाई यह है कि सूचक जिला डाक विभाग के प्रधान है एवं अपने अधीनस्थ से रंगदारी मांगने के अभ्यस्त है। आवेदक ईमानदार व्यक्ति वह रंगदारी देने से इंकार कर दिया तब सूचक द्वारा आवेदक को अवैध रूप से निलंबित कर दिया गया। प्राथमिकी 06 दिन के विलम्ब से दर्ज कराया गया है। अतः जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है। आवेदक के विरूद्ध सूचक के मोबाईल ब्हाट्सेप पर अमार्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज करने का मैसेज भेजने का आरोप है। धारा– 75 बी.एन.एस. को छोड़ कर शेष धाराएं जमानतीय प्रकृति का है। कांड दैनिकी की कंडिका– 18 के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज होना अंकित नहीं है। धारा– 75 बी.एन.एस के आरोप में सात साल से कम के सजा का प्रावधान है। प्राथमिकी पॉच दिन के विलम्ब से दर्ज कराया गया है। आवेदक दिनांक 23.02.2026 से कारा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, आरोप की प्रकृति, आवेदक का पूर्व स्वच्छ आपराधिक इतिहास एवं आवेदक के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त धनंजय कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/—रु. के बंध—पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है :—

1. आवेदक अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

2. जमानतदारो में से एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार माता, पिता, भाई, बहन एवं पत्नी होंगे।

3. आवेदक जमानत से मुक्ति के पश्चात् यदि इसी तरह के मामले में अभियुक्त बनाया जाता है तो जमानतदार इसकी सूचना से संबंधित शपथ—पत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करेंगे तथा विद्वान विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि शर्तो के दुरूपयोग के आधार पर आवेदक का बंध—पत्र रद्द कर सकेगे।

4. आवेदक किसी साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा, यदि ऐसा करता है तो उसका बंध—पत्र रद्द किया जा सकता है।

5. आवेदक सूचक के परिवार से कोई सम्पर्क नहीं करेगा।

लेखापित

ह0/—
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांकः— 26.03.2026